(नौ) ऐसी अन्य संस्थाएं, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, से क्रय की गई वस्तुओं को.

13. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् क्रय.- ऐसी सामग्री, जो राज्य सरकार के भंडार क्रय नियम के अधीन, कृषि उद्योग विकास निगम लघु उद्योग निगम, खादी ग्रामोद्योग, चर्म विकास निगम, हस्तशिल्प विकास निगम आदि के माध्यम से क्रय की जाना आशयित है उनसे अप्राप्यता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही इन नियमों में कथित प्रक्रिया का पालन करते हुए खुले बाजार में क्रय की जाएगी.

14. सामग्री की प्राप्ति.- माल तथा सामग्री प्राप्त होने पर उसे समुचित रूप से, यथास्थिति, जांच किया जाएगा तथा गिना, मापा या तौला जाएगा और प्राप्तिकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं का समाधान कर ले कि प्रदाय की गई सामग्री नमूने के अनुसार सही मानक तथा गुणवत्ता की है.

15. निरसन.- इन नियमों के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में अंतिम प्रकाशन की तारीख से ग्राम पंचायत (सामग्री तथा माल की खरीद) नियम, 1963, जनपद पंचायत (सामग्री तथा माल खरीद) नियम, 1963 तथा जिला पंचायत (सामग्री तथा माल खरीद) नियम, 1963 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं.

छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत (अनुसूचित जनजातियों के पदाधिकारियों के लिए आरक्षित स्थानों या पदों के आवंटन से अपवर्जन) नियम, 1999

विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000[1]

अधिसूचना क्र. 3133/पं/चेट/2002 दिनांक 23 अक्टूबर, 2002.— म. प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000 है।

(2) यह नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा।

2. इस आदेश की अनुसूची में, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित हो जाती हैं, तथा प्रवृत्त रहेंगी, जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं। उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाए।

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

अनुसूची

अनुक्रमांक	विधि का नाम
59	छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत (अनुसूचित जनजातियों के पदाधिकारियों के लिए आरक्षित स्थानों या पदों के आवंटन से अपवर्जन) नियम, 1999

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23-10-2002 पृष्ठ 531-532(3) पर प्रकाशित।

नियम

1. संक्षिप्त नाम- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत (अनुसूचित जनजातियों के पदाधिकारियों के लिए आरक्षित स्थानों या पदों के आवंटन से अपवर्जन) नियम, 1999 है.

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994);

(ख) "ग्राम पंचायत" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 10 के अधीन गठित ग्राम पंचायत;

(ग) "पंच" से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत का पंच;

(घ) "सरपंच" से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत का सरपंच;

(ङ) "अनुसूचित क्षेत्र" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र;

(च) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा.

3. जब कलेक्टर की जानकारी में, अंतिम पूर्व जनगणना पर प्रकाशित सुसंगत आंकड़ों से या अन्यथा यह आता है कि अनुसूचित क्षेत्र की कोई ग्राम पंचायत, जिसमें अनुसूचित जनजातियों की कोई जनसंख्या नहीं है, को अनुसूचित जनजातियों के पंचों या सरपंचों के लिए आरक्षित, यथास्थिति, स्थानों या पदों के आवंटन से अपवर्जित किया जाना है, तो वह नायब तहसीलदार की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी की उपस्थिति में ग्राम सभा का सम्मिलन बुलाकर ऐसे अपवर्जन के अवधारण के लिए स्थानीय जांच कराएगा और ऐसी ग्राम सभा का कोई सम्मिलन पूर्व लोक सूचना या उद्घोषणा जिसमें ऐसे सम्मिलन की तारीख, समय, स्थान तथा विचार के मामले बतलाए गए हों, के बिना नहीं बुलाया जाएगा.

4. कलेक्टर, नियम 3 में जांच रिपोर्ट तथा विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत आपत्ति, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् उक्त ग्राम पंचायत को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित, यथास्थिति, स्थानों या पद के आवंटन से अपवर्जित करने का विनिश्चय करेगा. कलेक्टर, विनिश्चय करने के पश्चात् यह आदेश पारित करेगा कि उक्त ग्राम पंचायत अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित, यथास्थिति, स्थानों या पद के आवंटन से अपवर्जित की गई है :

परन्तु कलेक्टर किसी ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों या पद के आवंटन से अपवर्जन करने के विनिश्चय पर नहीं पहुंचेगा, यदि उसकी राय में ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की अनुपस्थिति अस्थायी या सामयिक प्रकृति की है या उस क्षेत्र से अनुसूचित जनजातियों की असद्भावपूर्वक या अन्यथा बेदखली के कारण हैं.

5. उक्त ग्राम पंचायत का अनुसूचित जनजातियों के पंचों या सरपंच के लिए आरक्षित, यथास्थिति, स्थानों या पद के आवंटन से अपवर्जन तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक ग्राम पंचायत अपनी अवधि पूर्ण नहीं कर लेती तथा आगामी सामान्य निर्वाचन में कलेक्टर अधिनियम की धारा 129-ङ की उपधारा (1) के तृतीय परन्तुक के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व नियम 3 में विहित रीति में पुनः अग्रसर होगा.